न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, RAS.

पत्रावली संख्या : 141 / 23 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2023 / 409

1. श्री चुन्नीलाल पिता भारमल जी जाति बुनकर, उम्र वयस्क, निवासी खटामला, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज०)।

................प्रार्थी

बनाम

1. श्री भेरा पुत्र उदा जी जाति गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री भागीरथ पुत्र उदा जी जाति गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री भोला पुत्र उदा जी जाति गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती मगनी पत्नी मोड़ा जी जाति गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्री हीरा पुत्र उदा जी जाति गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्री अमृतलाल पुत्र शोभाराम जी जाति सुथार, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्रीमती प्यारीबाई पत्नी अमृतलाल जी जाति सुथार, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. पटवारी, पटवार हल्का लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)।

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री लाजवन्ती जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 25.07.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा लदानी पटवार हल्का लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 2002 / 370, 370 किता [illegible] रकबा 0.1457 हैक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:47 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित भूमि के उत्तर, पूर्व व पश्चिम दिशाओ में विपक्षीगण की भूमि है। विपक्षीगण के साथ सीमा को लेकर विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की खातेदारी भूमियों की पूर्वी, पश्चिमी एवं उत्तरी दिशाओ की सीमा की पत्थरगड़ी कराई जाकर स्थायी सीमाकंन कराया जावे तथा मुझ प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 7 का अवैध कब्जा एवं निर्माण पाया जावें तो मुझ प्रार्थी की भूमि से विपक्षी संख्या 1 से 7 के खर्चे से इनका अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाया जाकर मेरी भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी 8, 9 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरणग्रस्त भूमि प्रार्थी की तन्हा खातेदारी हक की भूमि है जिसमें विपक्षी संख्या 1 से 9 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी की भूमि का उत्तर, पूर्व व पश्चिम दिशाओ का सिमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा लदानी पटवार हल्का लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 88 पर दर्ज आराजी नम्बर 2002／370, 370 किता 2 कुल रकबा 0.1457 हैक्टर भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। इसलिये प्रार्थी को अपनी तन्हा खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षी संख्या 1 से 7 द्वारा भी बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित होकर कोई एतराज नही किया गया जिससे जाहीर होता है कि विपक्षी संख्या 1 से 7 को प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि की पत्थरगड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000／—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा लदानी पटवार हल्का लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 88 पर दर्ज आराजी नम्बर 2002／370, [illegible] किता 2 कुल रकबा 0.1457 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:47 IST
Reason: SelfAttested

भूमि के उत्तर, पूर्व व पश्चिम दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।

5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:47 IST
Reason: SelfAttested